न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
46/2017/प्रा.पत्र/2017	06.07.2017	22.06.2022

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.......आवेदक

बनाम

1–श्री जितेन्द्र जांगिड पुत्र श्री दुर्गालाल जांगिड प्रबंधक/विक्रेता मैसर्स विश्वकर्मा एन्टरप्राईजेज टैगोर नगर जहाजपुर रोड देवली जिला टोंक राज.
2–श्रीमति मौसमी देवी पत्नि श्री रमेश चन्द प्रोपरायटर मैसर्स विश्वकर्मा एन्टरप्राईजेज टैगोर नगर जहाजपुर रोड देवली जिला टोंक राज. निवासी ग्राम टाकावास, सावर तह. केकडी जिला अजमेर
3– मैसर्स विश्वकर्मा एन्टरप्राईजेज टैगोर नगर जहाजपुर रोड देवली जिला टोंक राज.
4–श्री ललित कुमार धोखा डायरेक्टर मैसर्स गणेशम किराणा प्लॉट नं. ई–167, वीकेआई एरिया, रोड नं. 9 जे, जयपुर राज. निवासी 28, इन्द्रा कॉलोनी, बनीपार्क, जयपुर राज.
5–श्री आशिष धोखा डायरेक्टर मैसर्स गणेशम किराणा प्लॉट नं. ई–167, वीकेआई एरिया, रोड नं. 9 जे, जयपुर राज. निवासी 28, इन्द्रा कॉलोनी, बनीपार्क, जयपुर राज.
6–श्रीमति ममता धोखा डायरेक्टर मैसर्स गणेशम किराणा प्लॉट नं. ई–167, वीकेआई एरिया, रोड नं. 9 जे, जयपुर राज. निवासी 28, इन्द्रा कॉलोनी, बनीपार्क, जयपुर राज.
7–मैसर्स गणेशम किराणा प्लॉट नं. ई–167, वीकेआई एरिया, रोड नं. 9 जे, जयपुर राज. निवासी 28, इन्द्रा कॉलोनी, बनीपार्क, जयपुर राज.

......अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उपस्थित।
2–अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

:–निर्णय–: **दिनांक 22.06.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.03.2017 को समय प्रातः 11:50 ए.एम. पर मैसर्स विश्वकर्मा एन्टरप्राईजेज टैगोर नगर जहाजपुर रोड देवली जिला टोंक राज. पर पहुंचा। वहॉ श्री जितेन्द्र जांगिड पुत्र श्री दुर्गालाल जांगिड मिला, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर श्री जितेन्द्र जांगिड ने स्वयं को मैसर्स विश्वकर्मा एन्टरप्राईजेज टैगोर नगर जहाजपुर रोड देवली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

जिला टोंक राज. का प्रबंधक/विक्रेता होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में **ड्राई फ्रूट्स रेसिन किशमिश गोवा पॉली पैक (Dry Fruits Raisins Goa Kismis Poly Pack)** 250–250 ग्राम के 22 पॉलीपैक सील्ड पैक रखे हुए थे, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा होने पर विक्रेता श्री जितेन्द्र जांगिड को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दोनों प्रतियों में विक्रेता श्री जितेन्द्र जांगिड व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **ड्राई फ्रूट्स रेसिन किशमिश गोवा पॉली पैक (Dry Fruits Raisins Goa Kismis Poly Pack)** वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किए जा रहे है, 250–250 ग्राम के 4 नग कुल 1 किलोग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **ड्राई फ्रूट्स रेसिन किशमिश गोवा पॉली पैक (Dry Fruits Raisins Goa Kismis Poly Pack)** 250–250 ग्राम के 4 नग को 250–250 ग्राम के चार भाग तैयार कर चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में रखा एवं प्रत्येक डिब्बे को एयर टाइट बंद किया एवं चारो नमूना भागों के लिए नियमानुसार चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1566 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–1566 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

श्री जितेन्द्र जांगिड पुत्र श्री दुर्गालाल जांगिड प्रबंधक/विक्रेता मैसर्स विश्वकर्मा एन्टरप्राईजेज टैगोर नगर जहाजपुर रोड देवली जिला टोंक राज. ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स गणेशम किराणा प्लॉट नं. ई–167, वीकेआई एरिया, रोड नं. 9 जे, जयपुर राज. का बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक ने मैसर्स गणेशम किराणा प्लॉट नं. ई–167, वीकेआई एरिया, रोड नं. 9 जे, जयपुर राज. निवासी 28, इन्द्रा कॉलोनी, बनीपार्क, जयपुर राज. को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5ए व आवश्यक दस्तावेज चाहे गये। जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म के दस्तावेज प्रेषित किए परन्तु कोई उचित बिल प्रेषित नहीं किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./17/1942 दिनांक 16.05.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/203/एक्ट/2017/203 दिनांक 12.04.2017 के अनुसार विक्रेता श्री जितेन्द्र जांगिड से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया **ड्राई फ्रूट्स रेसिन किशमिश गोवा पॉली पैक (Dry Fruits Raisins Goa Kismis Poly Pack)** एफ.एस.एस.ए. की धारा **3(1)(zf)(C)(i)** का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण ने **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का **ड्राई फ्रूट्स रेसिन किशमिश गोवा पॉली पैक (Dry Fruits Raisins Goa Kismis Poly Pack)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्राथी सं. 1 ता 3 मात्र एक बार दिनांक 27.10.2017 को तथा अप्रार्थी सं. 4 ता 7 भी मात्र एक बार दिनांक 22.03.2018 को न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए एवं उसके बाद लगातार अनुपस्थित रहे। इससे जाहिर होता हैं कि अप्रार्थीगण उनके विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण में कोई जवाब पेश नहीं करना चाहते हैं। अतः प्रकरण में पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **ड्राई फ्रूट्स रेसिन किशमिश गोवा पॉली पैक (Dry Fruits Raisins Goa Kismis Poly Pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **ड्राई फ्रूट्स रेसिन किशमिश गोवा पॉली पैक (Dry Fruits Raisins Goa Kismis Poly Pack)** नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 पर शास्ति रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रू0), अप्रार्थी सं. 2 व 3 पर कुल शास्ति रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रू0) तथा अप्रार्थी सं. 4 ता 7 पर कुल शास्ति रूपये 1,25,000/– (अक्षरे एक लाख पच्चीस हजार रू0) आरोपित जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 22.06.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक